भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1397
जिसका उत्तर गुरुवार, 09 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

महिला अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संस्थागत सहायता
1397 श्री देरेक ओब्राईन :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार देश में महिला अधिवक्ताओं और न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए संस्थागत सहायता में बढ़ोतरी कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : भारतीय विधिज्ञ परिषद ने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के अधीन देश में विधिक वृत्तिक के लिए विनियामक निकाय होने के नाते सूचित किया है कि ऐसा संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने के लिए कोई विशेष और एक समान स्कीम नहीं है । तथापि, महिला अधिवक्ताओं की वृद्धि हेतु संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराने के मुद्दे पर कतिपय विधि महाविद्यालय हैं जो केवल महिलाओं के लिए चलाते हैं या जिनके पास केवल महिलाओं के लिए कक्षाएं या अनुभाग हैं ।

विधिज्ञ परिषदों में महिला अधिवक्ताओं हेतु आरक्षण के बारे में विचार पूर्व में भी मांगे किए गए थे परंतु राज्य विधिज्ञ परिषदों को उसके अधिक पक्ष में नहीं पाया गया था ।

इसके अतिरिक्त, न्याय विभाग ने देश में महिला न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि के लिए संस्थागत सहयोग में वृद्धि करने के संबंध में सूचित किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन, राज्यों में जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबद्ध उच्च न्यायालय में निहित होता है । संविधान के अनुच्छेद 233 और अनुच्छेद 234 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित राज्य सरकारें उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य न्यायिक सेवा में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्त, प्रोन्नति, आरक्षण और सेवानिवृत्ति के मुद्दे से संबंधित नियम और

विनियम विरचित करती हैं । अतः, जहां तक राज्यों में न्यायिक अधिकारियों की भर्ती का संबंध हैं, कतिपय राज्यों में इसे संबंधित उच्च न्यायालय करते हैं जबकि अन्य राज्यों में इसे उच्च न्यायालय, राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से करते हैं ।

जिला/अधीनस्थ न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति और चयन में संविधान के अधीन संघ सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है । उच्चतम न्यायालय ने मलिक मजहर मामले में 4 जनवरी, 2007 के अपने आदेशों में अधीनस्थ न्यायपालिका में रिक्तियों को भरने के लिए अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया और समय सीमा विरचित की है जो यह अभिनिर्धारित करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया किसी कैलेण्डर वर्ष के 31 मार्च को प्रारम्भ और उसी वर्ष के 31 अक्तूबर को समाप्त होगी । उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों/उच्च न्यायालयों को राज्य में विशिष्ट भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों या अन्य सुसंगत परिस्थितियों के आधार पर किसी कठिनाई की दशा में समय अनुसूची में परिवर्तनों को अनुज्ञात किया है ।

****